

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.09.2019 जनपद देवरिया

-25-25 हजार के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार:-

थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1107/2018 धारा-3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम की विवेचना थानाध्यक्ष तरकुलवा द्वारा की जा रही थी, जिसमें नामजद 04 अभियुक्त काफी समय से े रूपोष चल रहे थे। जिनके ऊपर 25-25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक-27.09.2019 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय हमराही देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए कंचनपुर तिराहे पर उपस्थित थे कि मुखबिर की सूचना पर पटनवा पुल के पास से चार व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके द्वारा अपना नाम पता 01.रामसिंगार पुत्र अतिराज निवासी-पोखभिण्डा थाना-कोतवाली जनपद-देवरिया 02.संतोष पुत्र पतिराज निवासी-उपरोक्त, 03.परमेश्वर पुत्र अतिराज निवासी-उपरोक्त, 04.प्रभुनाथ पुत्र चन्द्रिका निवासी-उपरोक्त बताया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 01.रामसिंगार पुत्र अतिराज निवासी-पोखभिण्डा थाना-कोतवाली जनपद-देवरिया
- 02.संतोष पुत्र पतिराज निवासी-उपरोक्त,
- 03.परमेश्वर पुत्र अतिराज निवासी-उपरोक्त,
- 04.प्रभुनाथ पुत्र चन्द्रिका निवासी-उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.उ0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थानाध्यक्ष तरकुलवा देवरिया,
- 02.उ0नि0 विनोद यादव थाना तरकुलवा, देवरिया,
- 03.मु0आ0 अजय सिंह, थाना तरकुलवा, देवरिया,
- 04.कां0 जयप्रकाश सिंह थाना तरकुलवा, देवरिया,
- 05.कां0 गणेश कुमार थाना तरकुलवा, देवरिया,

थाना खामपार पुलिस द्वारा हत्या कारित करने वाले 01 अभियुक्त को मय आलाकत्ल गिरफ्तार किया गया:-

आज दिनांक 27.09.2019 को प्रभारी निरीक्षक खामपार भीष्मपाल सिंह मय हमराही देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चेकिंग हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को भवानी छापर से आगे मंदिर पर बिहार सीमा नदी के किनारे पकड़ लिया गया जिसके द्वारा अपना नाम पता दीपक कुमार उर्फ साधू पुत्र वर्मा शाह साकिन कोयला देवा गांव बाजार, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज, बिहार बताया गया। कड़ाई से पूछ-ताछ करने पर व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मृतक छोटेलाल पुत्र बाबूलाल की पत्नी का प्रेम प्रसंग अजय यादव पुत्र गरजू यादव के साथ था, इसी बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ था, दिनांक 17.08.2019 को मैं अपने दोस्त अजय यादव पुत्र गरजू यादव सा0 मदर वानी, थाना फुलवरिया, जनपद गोपालगंज, बिहार के सादू मृतक छोटेलाल पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी पिपरई थाना विजयपुर जिला गोपालगंज को दो मोटरसाइकिल से उसे घर से बुलाकर अपने दोस्तों के साथ भिगारी बाजार में उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में करके घर ले जाने के बहाने नंदपुर कुकुर घाटी नदी के बंधे पर अजय ने अपनी पिस्टल भोलू को दी थी तथा मेरे व नीतीश के पास चाकू था जिससे उसके सर में पीछे से गोली मारकर व गर्दन को चाकू से काट दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद चाकू को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

इस प्रकार थाना खामपार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0-190/19 धारा-302,201 भादंसं का सफल अनावरण किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 आला कत्ल .एक अदद चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 01.दीपक कुमार उर्फ साधू पुत्र वर्मा शाह साकिन कोयला देवा गांव बाजार फुलवरिया जिला गोपालगंज बिहार **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

01. प्र०नि० भीष्मपाल सिंह थाना खामपार देवरिया,
02. का० संतराम अग्रहरी थाना खामपार देवरिया
03. का० धीरज कुमार सोनकर थाना खामपार देवरिया
04. का० अरविंद यादव थाना खामपार देवरिया
05. का० धनीराम वर्मा थाना खामपार देवरिया

थाना लार पुलिस द्वारा हरियाणा निर्मित 156 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब , 01 अदद वाहन सहित कुल 25 लाख 60 हजार की बरामदगी कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक-26.09.2019 प्रभारी चौकी मेहरौना बिहार बार्डर पर संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे कि एक डीसीएम ट्रक का चालक वाहन छोड़कर भागने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछे जाने पर उसके द्वारा अपना नाम पता मनीष जाट पुत्र रामेश्वर जाट उर्फ भीम सिंह निवासी-करमगढ़ थाना-नखाना जनपद-जिन्द (हरियाणा) बताया गया। भागने का कारण पूछे जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि ट्रक में शराब है जिसे वह बिहार ले जाने वाला था, किन्तु पुलिस चेकिंग देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा ट्रक से 36 पेटी कैसीनो प्राइड 750 एमएल, 40 पेटी 375 एमएल तथा 80 पेटी 180 एमएल उपरोक्त शराब बरामद किया गया जिसकी कुल कीमत लगभग 13 लाख 60 हजार रुपये है तथा वाहन की कीमत लगभग 12 लाख रुपये है। पुलिस टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब व वाहन को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01. 36 पेटी कैसीनो प्राइड 750 एमएल,
02. 40 पेटी 375 एमएल
03. 80 पेटी 180 एमएल
04. एक अदद डीसीएम ट्रक वाहन

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मनीष जाट पुत्र रामेश्वर जाट उर्फ भीम सिंह निवासी-करमगढ़ थाना-नखाना जनपद-जिन्द (हरियाणा)
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. उ०नि० योगेन्द्र यादव प्रभारी पुलिस चौकी मेहरौना थाना लार देवरिया,
02. कां० समसुलेन खॉ पुलिस चौकी मेहरौना थाना लार देवरिया
03. कां० सोनू भारती पुलिस चौकी मेहरौना थाना लार देवरिया
04. का० दीपक यादव पुलिस चौकी मेहरौना थाना लार देवरिया
05. कां० रामचन्द्र मौर्य पुलिस चौकी मेहरौना थाना लार देवरिया